न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 06/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सावलाराम पुत्र जेताजी जाति पुरोहित निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही		1. मफतलाल पुत्र उकाजी जाति पुरोहित निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही 2. लक्ष्मणराम पुत्र उकाजी जाति पुरोहित निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री सुरेश डी सुराणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.1.19

———0———

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 21/2015 सावलाराम बनाम मफतलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट की सह खातेदारी भूमि थी, जिसका रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार का सरोकार नहीं हैं तथा न ही रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि के खातेदार है। अपीलाण्ट द्वारा सह खातेदार कंचनदेवी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसके विचाराधीन रहते रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करने का प्रयास किया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया तथा दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसमें अपीलाण्ट की सह खातेदारी भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जा किया जाकर निर्माण कार्य करवाया जाना प्रमाणित होता है। इस दरम्यान विभाजन के वाद में डिक्री पारित हो गई, किन्तु जिस खसरा नम्बरान् की भूमि में रेस्पोडेन्ट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

कब्जा किया गया, वह भूमि अपीलाण्ट की सह खातेदारी की रखी गईं इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि में अपीलाण्ट का कोई अधिकार नहीं मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में होने के बावजूद विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया, जो किसी भी रूप से न्यायोचित नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी आबादी भूमि है, जो किसी भी रूप में कृषि भूमि नहीं होने के कारण वाद परिपोषणीय नहीं हैं। जैर अपील विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट्स के मकान बने हैं, जिसकी मरम्मत करने पर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट में भी रेस्पोडेन्ट्स के पुराने मकान बने होने का उल्लेख आया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के पेज संख्या 6 में विवेचित किया गया है। उक्त भूमि किसी भी रूप में सह खातेदारी भूमि नहीं है, उसका विभाजन हो चुका है तथा जिस भूमि पर मकान आदि बने है, वह भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि ही नहीं है, तो इस भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट को किसी प्रकार के हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। जब रेस्पोडेन्ट के मकान 30 वर्ष पूर्व से निर्मित है, तो इस सम्बन्ध में अब दावा नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर था, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज़ योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी अपनी सह खातेदारी की होना बताते हुए रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि के दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स का जवाब प्राप्त करने के पश्चात जैर अपील निर्णय पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के पृष्ठ संख्या 6 के चरण संख्या 2 में जिस मौका कमिश्नर रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, उस मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में निर्णय के पेज संख्या 7 के चरण संख्या 1 का अवलोकन किया जाता है, तो उससे यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील विवादित आराजी को कंचन बाई की खातेदारी भूमि होना बताते हुए अपीलाण्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु नहीं होना मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज़ किया। जबकि इन तथ्यों का रेकर्ड से अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि राजस्व वाद संख्या 74/2016 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की है, उसके अनुसार ग्राम दांतराई के खसरा नम्बर 765/2, 765/3, 772/4 व 772/2 की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मकान निर्माण होना बताया। न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 86/2014 सांवलाराम बनाम कंचनबाई वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 के अनुसार खसरा नम्बर 765/2 व 772/2 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

भूमि का अपीलाण्ट को खातेदार घोषित किया गया है तथा खसरा नम्बर 765/3 व 772/4 की भूमि अपीलाण्ट एवं अन्य सह खातेदारान् की सह खातेदारी भूमि रखी गई है, जिसमें अपीलाण्ट का भी हक हिस्सा निहित हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा खसरा नम्बर 765/3 व 772/4 की भूमि में अपीलाण्ट का हक हिस्सा नहीं होने बाबत जो कथन अंकित किए गए है, वे पूर्णतः आधारहीन हैं। जिसे किसी भी रूप में समर्थन नहीं दिया जा सकता हैं। चूंकि उक्त सम्पूर्ण आराजी में अपीलाण्ट का हक हिस्सा निहित है तथा रेस्पोडेन्ट्स का विधिक दृष्टिकोण से अधिकार प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं मानना तर्कसंगत नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 21/2015 सावलाराम बनाम मफतलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 को अपास्त किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 05.04.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही